

2279/ N0C-385/19

02/3/19

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ


विषय:—मैसर्स गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट—डिस्टलरी (ए यूनिट आफ बलरापुर चीनी मिल्स लि०) ग्राम—रुद्रपुर, गुलरिया पो०—नौसार गुलरिया, ब्लाक बिजुआ, तहसील गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुरखीरी में 160 के०एल०डी० क्षमता का शीरा आधारित आसवनी इकाई एवं 08 मेगावाट को—जनरेशन पावर प्लाण्ट की स्थापना के प्रस्ताव पर दिनांक 22/02/2019 को चयनित स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सम्पन्न हुई लोक सुनवाई के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मैसर्स. गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट—डिस्टलरी (ए यूनिट आफ बलरापुर चीनी मिल्स लि०) ग्राम—रुद्रपुर, गुलरिया पो०—नौसार गुलरिया, ब्लाक बिजुआ, तहसील गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुरखीरी में 160 के०एल०डी० क्षमता का शीरा आधारित आसवनी इकाई एवं 08 मेगावाट को—जनरेशन पावर प्लाण्ट की स्थापना के प्रस्ताव पर दिनांक 22/02/2019 को चयनित स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आहुत लोक सुनवाई की अध्यक्षता जिलाधिकारी, महोदय लखीमपुरखीरी द्वारा की गयी। लोक सुनवाई की कार्यवृत्त, सुनवाई के दौरान उपस्थित नागरिकों की उपस्थिति सीट, तैयार की गयी सी०डी० तथा प्रमुख समाचार पत्रों हिन्दुस्तान एवं टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित लोक सुनवाई की विज्ञप्ति की कतरन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी आवेदन के निस्तारण हेतु आपके अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय


(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (पर्यावरण) पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी



पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं०-एस०ओ० 1533 दिनांक- 14.09.2008 के प्राविधानों के अंतर्गत मै० गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट-डिस्टलरी (ए यूनिट आफ बलरामपुर चीनी मिल्स लि०) ग्राम-रुद्रपुर,गुलरिया पो०-नौसार गुलरिया, ब्लाक बिजुआ, तहसील गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी में 160 के.एल.डी. क्षमता का शीरा आधारित आसवनी इकाई एवं 08 मेगावाट को-जनरेशन पावर प्लाण्ट की स्थापना के प्रस्ताव पर दिनांक-22.02.2019 के अपरान्ह 1.00 बजे चयनित स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवृत्त की विवरणी :

दिनांक 22.02.2019 को जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुर खीरी की अध्यक्षता में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित उद्योग मै० गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट-डिस्टलरी (ए यूनिट आफ बलरामपुर चीनी मिल्स लि०) ग्राम-रुद्रपुर,गुलरिया पो०-नौसार गुलरिया, ब्लाक बिजुआ, तहसील गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी में 160 के.एल.डी. क्षमता का शीरा आधारित आसवनी इकाई एवं 08 मेगावाट को-जनरेशन पावर प्लाण्ट की स्थापना के प्रस्ताव पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोक सुनवाई आयोजित की गयी, जिसकी उपस्थिति संलग्न है ।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डा० राम करन द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति मुख्य अतिथि एवं अन्य आगन्तुकों का स्वागत करते हुये लोक सुनवाई पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई प्रारम्भ की गयी । क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई०आई०ए० अधिसूचना सं० एस.ओ. 1533 दिनांक-14.09.2006 Schedule (See Paragraph 2 and 7) के Project or Activity 5 (g) के प्राविधानों के अंतर्गत आच्छादित है । पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कराया जाना प्राविधानित है । राज्य बोर्ड को प्रेषित प्रस्ताव पर लोक सुनवाई कराये जाने हेतु उक्त के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुर खीरी द्वारा मै० गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट-डिस्टलरी (ए यूनिट आफ बलरामपुर चीनी मिल्स लि०) ग्राम-रुद्रपुर,गुलरिया पो०-नौसार गुलरिया, ब्लाक बिजुआ, तहसील गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी में स्थित नियत स्थल पर दिनांक- 22.02.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे लोक सुनवाई नियत की गयी, जिस हेतु आम सूचना 30 दिन का समय देते हुये राष्ट्रीय स्तर पर टाइम्स आफ इंडिया में दिनांक- 20.01.2019 को एवं दैनिक समाचारपत्र हिन्दुस्तान लखनऊ संस्करण में दिनांक 21.01.2019 को आम जनता की आपत्ति व सुझाव हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी है ।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आम नागरिकों एवं जन-मानस को जानकारी देते हुये बताया गया कि बलरामपुर चीनी मिल्स द्वारा स्थापित मै० गुलरिया चीनी मिल्स 8000टन/दिन केनकिसिम क्षमता की चीनी मिल्स स्थापित है। पूर्व से स्थापित चीनी इकाई द्वारा 160 किली० प्रतिदिन क्षमता की शीरा आधारित आसवनी इकाई तथा 08 मेगावाट का को-जनरेशन पावर प्लाण्ट लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिये परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में लोक सुनवाई की यह प्रक्रिया निर्धारित की गयी है । परियोजना में जल/वायु प्रदूषण व्यवस्था के पूर्ण प्रबन्ध किया जाना प्राविधानित किया गया है । परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार संस्था में मै० एसेन्सी इन्वायरो प्रा०लि० द्वारा प्रोजेक्ट, द्वारा परियोजना के आस-पास की पर्यावरणीय गुणवत्ता का अध्ययन कराया गया है । परियोजना से जल प्रदूषण होने की सम्भावना बहुत कम है, क्योंकि परियोजना में जीरो डिस्चार्ज व्यवस्था पर आधारित तकनीक का प्रयोग किया जायेगा। उद्योग में स्टीम जनरेशन हेतु 60 टन प्रति घंटा क्षमता का 01 नग स्लोप फायर्ड ब्यायलर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वायु प्रदूषण-नियंत्रण व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई०एस०पी०) के साथ

72 मी० ऊँची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जायेगा। डी०जी० सेट को एकास्टिक इन्क्लोजर्स में रखा जाना तथा बोर्ड मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित किया जाना प्राविधानित है। इस प्रकार परियोजना में जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण की पूरी व्यवस्था की जायेगी। परियोजना के संचालन के उपरान्त जनित हैर्जाइस वेस्ट को बोर्ड से प्राधिकृत टी०एस०डी०एफ० संस्था को भेजा जायेगा जिसके लिये टी०एस०डी०एफ० से अनुबन्ध किया जायेगा।

परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरण, वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से टी०ओ०आर० (टोर) प्राप्त है। प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में कोई लिखित आपत्ति/सुझाव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को किसी अन्य विभाग के माध्यम से प्राप्त नहीं हुयी है।

श्री एन०के०अग्रवाल अधिशासी अध्यक्ष, मैसर्स गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट-डिस्टलरी गुलरिया, द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों एवं आम जनता का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुये अवगत कराया कि मैसर्स गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट-डिस्टलरी (ए यूनिट आफ बलरामपुर चीनी मिल्स लि०) ग्राम-रुद्रपुर, गुलरिया पो०-नौसार गुलरिया, ब्लाक बिजुआ, तहसील गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी के निकटतम शहर/कस्बा लखीमपुर खीरी (33.8 किमी० पूर्व दिशा में) एन.एच. 90 (स्थल के उत्तर दिशा में परिसर से सटा हुआ), गोला गोकर्ण नाथ रेलवे स्टेशन (24.1 किमी० उत्तर-पश्चिम दिशा में) तहसील-गोला गोकर्ण नाथ, जनपद-लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ई०आई०ए० (इन्वायरमेन्टल इम्पैक्ट एसेसमेन्ट) रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित इकाई का कुल क्षेत्रफल 87470.00 वर्ग मी० है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना द्वारा ई०आई०ए० अधिसूचना सं०-1533, दिनांक 14.09.2006 के अनुसार परियोजना औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थित है। अतः परियोजना अनुसूची 5 (g) के अन्तर्गत श्रेणी ए में आता है तथा परियोजना की स्थापना हेतु टी०ओ०आर० (टोर) प्राप्त है।

तदोपरान्त परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री डा० मनोज गर्ग, पर्यावरण सलाहकार, मै० एसेन्सी इन्वायरो प्रा०लि० द्वारा, उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, क्षेत्रीय अधिकारी, उप जिलाधिकारी गोला गोकर्ण नाथ, इकाई के अधिशासी अध्यक्ष एवं उपस्थित आम जनता के समक्ष अपनी बात रखते हुये अवगत कराया कि इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में शीरा (मोलेसेस) का प्रयोग कर एथनाल/एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल/रेक्टिफाइड स्पिरिट का उत्पादन किया जायेगा। परियोजना में शीरा की कुल आवश्यकता 720 टन प्रतिदिन होगी जो स्वयं की चीनी मिल से पाइप लाइन के माध्यम से व सड़क द्वारा वाहन के माध्यम से आपूर्ति किया जायेगा, जिसके भण्डारण के लिये स्टील टैंक स्थापित किया जायेगा। परियोजना में लगभग 300 किली० प्रतिदिन सान्द्रित स्पेण्टवाश, बैगास 255 टन/दिन की आवश्यकता होगी। डिस्टीलरी शून्य प्रवाह-निर्वहन पर आधारित होगी। स्पेण्टवाश विषलेषक कॉलम से उत्पन्न स्पेण्टवाश को इन्टीग्रेटेड एवं स्टैंड अलोन मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में सान्द्रित किया जायेगा। पूर्ण इन्सीरेशन के लिये विशेष ब्यायलर में डाल दिया जायेगा। पूरा स्पेण्टवाश सान्द्रित हो जायेगा एवं जला दिया जायेगा, जिससे पर्यावरण में कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। प्रक्रिया कन्डनसेट एम.ई.ई. से उत्पन्न कन्डनसेट को सी.पी.यू. में उपचारित एवं पॉलिश किया जायेगा और प्रक्रिया एवं कूलिंग टावर में पुनः चकित किया जायेगा। सान्द्रित स्पेण्टवाश को स्लोप फायर्ड बॉयलर में पूरक ईंधन बैगास के साथ इनसिनिरेट किया जायेगा।

परियोजना में औद्योगिक प्रक्रिया में जल 960 किली० प्रतिदिन तथा घरेलू प्रयोजन में 20 किली०/दिन प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है, जिसका मुख्य स्रोत भूजल है, जिसके लिये केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त किया जायेगा। इकाई में कुल विद्युत खपत 4.5 मेगावाट होगा, जिसकी आपूर्ति सह विद्युत उत्पाद संयंत्र से की जायेगी। अवशेष विद्युत को राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की ग्रिड को बेच दिया जायेगा। परियोजना की कुल लागत 208.74 करोड है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के उपाय के लिये रू० 110 करोड खर्च किये जायेगे। परियोजना का कुल कार्य दिवस 365 दिन होगा।

Devi

l

उद्योग में 60 टी०पी०एच० क्षमता का 01 स्लोप फायर्ड ब्यायलर स्थापित किया जायेगा, जिसमें ईंधन दहन के कारण कण और गैसीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई०एस०पी०) स्थापित किया जायेगा तथा 72 मी० ऊँची चिमनी स्थापित की जायेगी । ब्यायलर में ईंधन के रूप में लगभग 300 किलो० प्रतिदिन सान्द्रित स्पेण्टवाश, बैगास 255 टन/दिन प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है । इकाई के संचालन के दौरान ब्यायलर से जनित राख 60 टन प्रतिदिन जनित होगी, जिसका निस्तारण लो लाइन्ड एरिया में जमीन की भराई हेतु प्रयोग किया जायेगा । परियोजना में प्रस्तावित डी०जी० सेट को एकास्टिक एन्क्लोजर में रखा जायेगा तथा डी०जी० सेट में चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित की जायेगी तथा आन्तरिक सड़कों को पक्का एवं नियमित रूप से साफ किया जायेगा । परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिये नियमित निगरानी की जायेगी । चिमनी उत्सर्जन की नियमित निगरानी के लिये ऑन लाईन निगरानी प्रणाली स्थापित की जायेगी । 33 प्रतिशत कुल संयंत्र क्षेत्र भूमि पर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा । आवेदक के प्रतिनिधि ने परियोजना की आर्थिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि परियोजना से आस-पास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य के लिए राजस्व वसूली में वृद्धि होगी, जो जनपद के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है ।

लोक सुनवाई के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रश्न पूछे गये जिसके उत्तर पर्यावरण सलाहकार मै० गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट—डिस्टलरी ग्राम—गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी द्वारा निम्नानुसार दिया गया ।

प्रश्न 1— श्री विजय सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम—पड़रियातुला, खीरी द्वारा प्रश्न किया गया कि इकाई द्वारा वर्षा जल संरक्षण के लिये क्या किया जायेगा ?

उत्तर → डा० मनोज गर्ग, पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में केन्द्रीय भू-जल अथारिटी से अनुमति प्राप्त करने पर ही कुल जल दोहन का आधा रिचार्ज किये जाने का प्राविधान है, जिसमें इकाई परिसर के बाहर गांव के तालाबों को गोद लेकर उनके सौर्दयीकरण तथा जल के रिचार्जिंग किये जाने हेतु कटिबद्ध है। तालाबों के रिचार्जिंग हेतु लगभग 9 एकड़ तक तालाबों का चिन्हीकरण किया जायेगा, जिसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया जायेगा ।

प्रश्न 2— श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय, ग्राम प्रधान, ग्राम—गुदिया गांव, खीरी ने प्रश्न किया कि क्षेत्र में उद्योग लगने से आम जनता को क्या-क्या फायदे होंगे ?

उत्तर — श्री एन०के० अग्रवाल, अधिशासी अध्यक्ष, चीनी मिल द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा आस-पास के गांव के पहले के नव जवानों को वरीयता के आधार पर भर्ती किया जाता है। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा शिक्षित नव जवानों को अप्रेंटिस प्रशिक्षण भी कराते है जो अपने कार्यों को सीख कर अन्य इकाइयों में भी रोजगार के लिये चले जाते है।

प्रश्न 3— श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम—लोकहा, खीरी द्वारा प्रश्न किया गया कि उद्योग से गन्दा पानी निकलता है, जिससे प्रदूषण होता है, उसे रोकने के लिये क्या करेंगे ?

उत्तर— श्री श्री एन०के० अग्रवाल, अधिशासी अध्यक्ष, चीनी मिल द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदूषित जल को सान्द्रित कर ब्यालर में बैगास के साथ मिक्स कर ईंधन में प्रयोग कर जला दिया जायेगा। इकाई से किसी भी तरह का उत्प्रवाह या गन्दा पानी परिसर के बाहर नहीं निकलेगा। इकाई शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति पर स्थापित की जायेगी।





.....4.....

प्रश्न 4- श्री जसकरन सिंह, ग्राम-गोविन्दपुरवा, लखीमपुर खीरी द्वारा पूछा गया कि इकाई में वायु प्रदूषण के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी ?

उत्तर- डा० मनोज गर्ग, पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि चिमनी से धुएँ को नियन्त्रित किये जाने हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के लिये ई०एस०पी० लगायी जायेगी जोकि वायु प्रदूषण नियंत्रण की नवीनतम टेक्नालाजी है। ब्यायलर से जनित राख के लिये खाद बनाने हेतु ग्रेन्यूसन प्लाण्ट लगाया जायेगा, जिसे खाद बनायी जायेगी। स्थापित चिमनी की ऊँचाई 72 मी० रखी जायेगी जिससे वायु प्रदूषण की समस्या आस-पास न हो।

प्रश्न 5- श्री अनिल दीक्षित, ग्राम-प्रधान, ग्राम-बसतौली, लखीमपुर खीरी द्वारा पूछा गया कि इकाई में विद्युत प्लाण्ट लग रहा है क्या इसकी बिजली हमें मिलेगी ?

उत्तर- श्री एन०के० अग्रवाल, अधिषाशी अध्यक्ष, चीनी मिल द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई से उत्पादित बिजली को हम सीधे किसानों को नहीं दे सकते हैं। उत्पादित बिजली को हम विद्युत वितरण के ग्रीड में देते हैं। तत्पश्चात् विद्युत विभाग द्वारा विद्युत की सप्लाई अन्य क्षेत्रों में की जाती है।

प्रश्न 6- श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम-राजपुर, खीरी द्वारा पूछा गया कि इकाई से निकलने वाली राख का क्या होगा ?

उत्तर- डा० राम करन, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई से निकलने वाली राख को ग्रेन्यूसल प्लाण्ट लगाकर उसकी खाद बनायी जायेगी, जिसे किसानों को भी दिया जायेगा।

श्री अखिलेश यादव, उपजिलाधिकारी, गोला गोकर्णनाथ, जनपद-लखीमपुरखीरी ने उपस्थित जन समूह का स्वागत करते हुये अवगत कराया गया कि किसी भी उद्योग की स्थापना से पूर्व वहाँ के किसानों के विचारों को सुनना तथा इनकी आशंकाओं का समुचित निस्तारण करना अच्छी बात है। इससे भविष्य में समस्याएँ कम होती हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास एवं पर्यावरण में वरीयता दी जाये तो पर्यावरण ऊपर है तथा विकास को भी लेकर चलना पड़ता है। प्रदूषण पर एक आदर्श लाइन बनाकर सीमा के अंतर्गत रहते हुये विकास करना सही होता है। स्थानीय पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर इस इकाई का चयन किया गया है। योजना बनी है तथा इससे सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उन्नयन के लिये आवश्यक है। एक इकाई लगने से लम्बी चैन प्रक्रिया के माध्यम से आस-पास के क्षेत्रों का विकास होता है। इकाई के संचालन से किसी भी प्रकार का प्रदूषण न हो, जिससे जनसामान्य के स्वास्थ्य/क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव न पड़े। डा० मनोज गर्ग, पर्यावरण सलाहकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि सर आपके प्रस्ताव/सुझावों को सम्मिलित करेंगे।

जिलाधिकारी महोदय के विचार- जिलाधिकारी महोदय, श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह जी द्वारा- उपस्थित जन समुदाय का स्वागत करते हुये बधाई दी गयी कि यहाँ पर 160 किली०/दिन क्षमता की आसवनी इकाई तथा 08 मेगावाट को-जनरेशन प्लाण्ट लगाया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि रोटी सबसे पहली प्राथमिकता है तथा रोटी पानी के लिये रोजगार/कार्य/उद्योग का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। जापान व कोरिया जैसे देश अपने ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं। वर्तमान में चीनी उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। चीनी के विक्रय मूल्यों में स्थिरता नहीं है। कोई भी उद्योग तभी तक चलता है जब तक नो प्राफिट नो लॉस तक रहे। सरकारें गन्ना के मूल्य का निर्धारण करती हैं परन्तु चीनी के मूल्य का निर्धारण नहीं करती हैं। क्षेत्र में प्रति कृषक आय बढी है। जिले की चीनी मिले किसानों का भुगतान समय से कर रही है। जनपद में 2007 के बाद कोई चीनी मिल या अन्य बड़े उद्योग स्थापित नहीं हुये हैं। अब इन्ही चीनी मिलों में सह उत्पादन इकाई लग रही है, जिनके


उत्पाद से पेट्रोलियम के खरीद पर नियंत्रण किया जा सकेगा, जोकि विदेशों से आयात किया जाता है। ईंधन के अन्य विकल्प बहुत महंगे हैं। अब तो शीरे की जगह सीधे गन्ने से इथेनाल बनाया जाने की पद्धति विकसित हो गयी है। जनपद की समस्त चीनी मिलें समृद्ध हो, जिससे किसानों का फायदा हो। सभी के सामान्जस्य से ही उद्योग लगाया जा सकता है, जिसमें मिल स्वामी, सरकारी विभाग, किसानों को सामान्जस्य बनाना पड़ता है। आप लोगों के विचार सुना, बहुत अच्छा लगा। इकाई को शीघ्र स्थापित कर उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ करें। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही उपस्थिति समस्त सम्मानित स्थानीय निवासियों का आभार व्यक्त करते हुये प्रस्तावित परियोजना की स्थापना हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

अन्त में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी डा० राम करन ने उपस्थित मुख्य अतिथि जिलाधिकारी लखीमपुरखीरी एवं उपस्थित समस्त जन समुदाय एवं अतिथियों का लोक सुनवाई को सुचारू रूप से निष्पादित करने में सहयोग के लिये धन्यवाद किया गया तथा आशा व्यक्त की गयी कि प्रस्तावित परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण कर संचालित हो जिससे आम जनमानस को लाभ मिल सके, साथ ही लोगो का आभार व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई प्रक्रिया समाप्त करने की घोषणा की गयी।

(क) लोक सुनवाई के समय उपस्थित नागरिकों पदाधिकारियों/पैनल सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति संलग्न-1 के रूप में संलग्न है।

(ख) लोक सुनवाई की वीडियो की 02 सी.डी. संलग्न-2 के रूप में संलग्न है।

(ग) दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कतरन संलग्न-3 के रूप में संलग्न है।


26/1/2019
(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ


(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
लखीमपुर खीरी

गुलरिया चीनी मिल्स (ए यूनिट आफ बलरामपुर चीनी मिल्स लि0) ग्राम- रूद्रपुर, गुलरिया,
पो-नौसर गुलरिया, ब्लॉक बिजुआ, तह0- गोलागोकर्णनाथ, जिला-लखीमपुर खीरी में शीरा
आधारित आसवनी इकाई क्षमता 160 के0एल0डी0 तथा सहऊर्जा पावर प्लांट 8.0 मेगावाट की
स्थापना के प्रस्ताव पर लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण :

परियोजना स्थल- मै0 गुलरिया चीनी मिल्स दिनोंक- 22.02.2019

समय 1.00 बजे अपराह्न

ग्राम- रूद्रपुर, गुलरिया,
पो-नौसर गुलरिया, ब्लॉक बिजुआ,
तह0- गोलागोकर्णनाथ,
जिला- लखमपुर खीरी

क्र0सं0	नाम व पद नाम	विभाग का नाम/गांव का नाम	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
1	शैलेन्दु कुमार सिंह	जिलाधिकारी		
2	डा0 राम करन	क्षेत्रीय अधिकारी, उ-प्र0 सूक्ष्म उद्योग नियंत्रण कोष, लखनऊ	7839891841	
3	आशीश यादव	उपजिलाधिकारी गोला	9454416569	
4	NK	President Guliana Chini Mills	921450300	NK
5	R. K. Tewari	Regional Office UPRIS LKO	982221016	
6	शैलेंद्र सिंह	उपजिलाधिकारी	991844687	
7	दोला राम भागवि	भवानीपुर	9415558844	
8	रवीन्द्र कुमार पांडेय	गोविंदा	9670540001	R.Randy
9	विजयी सह प्रधान	परीरपालुला	9838850679	
10	करम सिंह	लौकाहा	9915565090	करम सिंह
11	जंसेकरन सिंह	गोविन्दपुरा	7388925661	

नाम व पद नाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
चतुर्वेद सिंह	मार्गिया	9453376	चतुर्वेद सिंह
13 सुवेद सिंह	लौकाहा	449 94735064 86	सुवेद सिंह
14 उच्च गुरुमा कृष्ण	पडपेय	9451236576	उच्च गुरुमा कृष्ण
15 अनिल कुमार	वस्तोली	9838166000	अनिल कुमार
16 रजनीश कुमार	विपुल	9839991350	R. C. B. S.
17 Nirukir Singh	Bhacera	9451423795	Nirukir Singh
18 गुरदीप सिंह	भडा	99398062	गुरदीप सिंह
19 श्री ओमप्रकाश मिश्रा	रनपुर	2026206222	ओमप्रकाश
20 सुनील कुमार	शम नगर	8878808273	सुनील
21 संदीप कुमार दी मित	रतनापुर	9454152035	संदीप
22 हरिचंद्र	नौखर नौली	991859545	हरिचंद्र
23 प्रमोद	उपग्राम गुजला	9721295142	प्रमोद
24 सुनील कुमार	बोलेवा महुकाहुर	8062005277	सुनील
25 सुभाष मिश्रा	लखनपुर (पहान)	9415668843	सुभाष मिश्रा
26 शमशेर बाजपेई	दनिया बाप	7408754830	शमशेर

क्र.सं.	नाम व पद नाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
27	मनीज सिंह	कृषि जंगली नाव	9918494186	मनीज सिंह
28	करन सिंह	पम्परिजा सल्लिह	9839321179	Karni Singh
29	फतेह बहादुर सिंह	राजा डेवरिया	8052080425	फतेह बहादुर सिंह
30	जगदीश कुमार बाजपेयी	दरिया बाप	9918446176	जगदीश कुमार
31	नीरज वर्मा (प्रधान)	कल पनाह	9919770114	Neeraj Verma
32	राजेश कुमार वर्मा	राजपुर	9359891103	राजेश कुमार
33	मन्दीर कुमार वर्मा	राजपुर	9452165997	मन्दीर कुमार
34	दोरे लाल	मानपुर कुर्द	9918224332	दोरे लाल
35	पुष्प कुमार	कौश-2 कौश	9888354547	पुष्प कुमार
36	तेजाजी	बस्तौली	9792841791	तेजाजी
37	नान लाल विश्वम्भर फौजदार	बस्तौली	991865140	नान लाल
38		मानपुर कुर्द	9565475284	विश्वम्भर फौजदार
39	संजय वर्मा	आव प्रान्त	9919541416	
40	राजिव दीक्षित	सुतनापुर	7800756047	राजिव दीक्षित
41	राज बहादुर सिंह	बस्तौली	9450891987	राज बहादुर सिंह

	नाम व पद नाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
42	Harwancha Singh	खिस्ताली	9452288370	H Singh
43	तेजेन्द्रसिंह	जधनपुर	9984948032	T Singh
44	दिलवाग सिंह	पूजागाँव	8004498925	दिलवाग
45	विदेश कुमार	रामनगर 296	9670775907	V Singh
46	जोगा सिंह	पकारिया	9918267826	J Singh
47	कमलेश कुमार	देवरियाडा	9838740910	K Singh
48	विनाय लुगा	बेलदासिकोट	9839946215	V Singh
49	अमित कुमार	रुममाप 2	983997644	A Singh
50	राम सेनेदी	गुलरिया	8887958044	R Singh
51	कृष्णा अवस्थी	गुलरिया	8318576635	K Singh
52	राम विलास	गुलरिया	8318247708	R Singh
53	विजय	पजरिया वृणा	9918839808	V Singh
54	अजय	गोविंदपुरा	9721259231	A Singh
55	सुमन	बाली	9936232147	S Singh
56	जवेर अहमद	बाली	9554597467	J Singh

क्र	नाम व पद नाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
57	श्याम	पहाड़ पुर	9821131111	श्याम
58	निर्मल मिश्रा	पादपुर	9007494069	निर्मल
59	राजीव	धरम-धरम	9935993311	राजीव
60	मिनोफरम	गुलरिया	9140848114	मिनोफरम
61	अरुण रमेश रज	गुलरिया	9118582771	अरुण रमेश रज
63	विजय	गौहर	8052229001	विजय
64	दिलकेश मिश्रा	धरम-धरम	9919410328	दिलकेश
65	गुणजित मिश्रा	काजल नगर	9450943762	गुणजित
66	श्याम रमेश रज	गौहर	9918665775	श्याम रमेश रज
67	अमित कुमार	गौहरिया	9838094522	Amil
68	वनवारी	गौहरिया	9918665775	वनवारी
69	गोकुल चन्द	झांझर गुवा	6592185885	गोकुल चन्द
70	कुलदेव कुमार	मानपुर	780076947	कुलदेव
71	मुनीश कुमार	पेलवा/मकूफ/गुल	9919963293	Munish
72	संतोष द्विवेदी	गुलरिया	9415331158	संतोष

नाम व पद नाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
73 श्री ल कुमाल गुप्ता	गु लरिया	945541709	
74 पिन्टू	जलुकापुर	9648181972	
75 परशिवन्धर सिंह	दफ्तारिया	9919216692	
76 पिपुष कथाहर सिंह	दफ्तारिया	9415964131	
77 दिनेश कुमाल	दफ्तारिया	9451523237	
78 हरिशंकर	विजुडा		
79 सन्दीप कुमार	विजुडा	9670536999	
80 सुनील कुमार	विजुडा	9558639547	
81 सुरेन्द्र गुप्ता	गु लरिया	97214503	
82 तुम्हार उग्रपाल	गुलरिया चीनी मिल	9917538777	
83 अजय प्रताप सिंह	गुलरिया चीनी मिल	9415493010	
84 किलेश पटेल, वैशालपुर	उद्योग विभाग कोई, जिला नरसिंहपुर	9839891045	
85 Dr. Manoj Goyal	Consultant	9897674227	
86 Anshuman Tiwari	Consultant	9454721732	
87			